Dabang Dunia (Indore), 6th January 2020, Page-2

आईआईटी इंदौर से पीएचडी करना है तो दो नहीं तीन रिसर्च पब्लिकेशन जरूरी

इंदौर। देशभर में पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत काम करना होता है लेकिन अगर आपको इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (आईआईटी) इंदौर से पीएचडी करना है तो उनके अपने बनाए हुए नियमों का पालन करना होगा। देशभर में पीएचडी के लिए एक से लेकर दो रिसर्च पब्लिकेशन होना जरूरी है लेकिन आईआईटी इंदौर ने अब इस नियम को बदलते हुए तीन पब्लिकेशन होना जरूरी कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों में रोष है। जानकारी के अनुसार यूजीसी के रिसर्च पब्लिकेशन के नियम को बदलते हुए आईआईटी इंदौर ने कम के कम तीन रिसर्च पब्लिकेशन करना जरूरी किया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि पांच साल की अवधि में 95 प्रतिशत विद्यार्थी दो रिसर्च पब्लिकेशन तो कर ही लेते हैं, इसलिए उन्हें तीन पब्लिकेशन करना होंगे।

सेमीनार में भागीदारी को नहीं मान रहे

इसके साथ ही यूजीसी दो नेशनल सेमीनार में भागीदारी को मानता है लेकिन आईआईटी इंदौर ने इसे मानने से इंकार कर दिया है। उनके अनुसार इसके कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूजीसी पांच साल तक इस पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप देती है लेकिन आईआईटी इंदौर ने इसे भी बदलते हुए चार साल तक स्कॉलरशिप देने और उसके बाद पांचवें साल खुद तय करने का नियम बना दिया है कि स्कॉलरशिप दी जाए या नहीं। इस प्रकार पांचवें साल विद्यार्थी का चार साल का असेसमेंट करने के बाद ही स्कॉलरशिप दी जाती है।

अन्य स्थान पर यूजीसी के ही नियम

खास बात यह है कि देश के अन्य किसी इंस्टिट्यूट या अन्य किसी आईआईटी में भी पीएचडी के लिए यूजीसी द्वारा जारी किए गए नियम ही लागू किए जाते हैं लेकिन यहां पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इससे पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों में रोष है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आईआईटी ने कहां से यह सर्वे किया कि 95 प्रतिशत विद्यार्थी रिसर्च कर लेते हैं। उनका प्रश्न यह भी है कि जब तय पैमाना कोई पूरा कर रहा है तो फिर कैसे इसे आगे नए तरीके से निश्चित किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले की शिकायत मानव संसाधन विभाग से करने की तैयारी की जा रही है।